ॐ 7007

(5)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 796919

21 MAY 2014

ओ३म्, विनिमय-पत्र (तबादलानामा)

स्टाम्प शुल्क मय आवास शुल्क अंकन 1,24,000/- रूपये।

हम कि योगेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व० श्री तेजपाल सिंह व श्रीमती रोशनी देवी धर्मपत्नी स्व० श्री तेजपाल सिंह व श्रीमती जोली धर्मपत्नी स्व० श्री सतेन्द्रपाल सिंह निवासीगण ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर तहसील सरधना जिला मेरठ -------प्रथमपक्ष।।

एवम

मैसर्स सृष्टि प्रमोटर्स प्रा०लि० (ए कम्पनी) द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री बी०आर० मिश्रा पुत्र स्व० श्री जी०पी० मिश्रा निवासी 159/10 शास्त्रीनगर, मेरठ शहर जिन्हें कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मिटिंग दिनांक 30-10-2013 ई० द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया है---द्वितीयपक्ष।।

योगेन्द्र सिंह   श्रीमती रोशनी   जोली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 796918

21 MAY 2014

जो कि प्रथमपक्ष इस विलेख के अन्त में अनूसूचि अ में वर्णित कृषि भूमि भूमिधरी के संक्रमणीय भूमिधर,मालिक काबिज स्वामी है व अनुसूचि ब में विर्णित कृषि भूमि भूमिधरी द्वितीयपक्ष के स्वामित्व व काश्त की है तथा दोनो पक्षो का नाम राजस्व अभिलेखो फर्द खसरा खतौनी में बजरिये बो-जोत संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज स्वामी दर्ज है, और अनुसूचि अ तथा ब मे वर्णित भूमि दोनो पक्षों की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त एवं रहित है और प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को अपनी अपनी उक्त भूमि में प्रत्येक प्रकार का अधिकार प्राप्त है । दोनो पक्ष एक दूसरे से लाभ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21 MAY 2014

D 796917

व कृषि हेतु उक्त भूमि के विनिमय के लिए उद्यत है तथा कोई वैध ानिक दोष विनिमय में हम दोनो पक्षो के अधिकारो में बाधक नही है, तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष निम्न वर्णित भूमि विनिमय द्वारा ट्रांसफर करने को तत्पर व तैयार है। अतः दोनो पक्ष स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियो की अवस्था में बिना किसी दबाव व बहकाव के यह विनिमय पत्र लिखकर रजिस्ट्री करा रहे है, जिसके हम दोनो पक्ष और हमारे उत्तराधिकारीगण व स्थानापन्नं निम्न लिखित प्रतिबन्धो से आबद्ध होते है:-

1- यह कि प्रथमपक्ष ने अपनी कृषि भूमि भूमिधरी जो अनुसूची 'अ' में वर्णित है को द्वितीयपक्ष को कृषि भूमि भूमिधरी सूची 'ब' के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27 MAY 2014

D 796916

बदले में हस्तान्तरित कर दी और द्वितीयपक्ष उसका आज की तिथि से स्वामी हो गया है तथा द्वितीयपक्ष ने मौके पर अपना कब्जा कर लिया है। तथा प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को विनिमय द्वारा अन्तरित भूमि का व्यक्तिगत स्वामी व पूर्णतः अधिकारी तथा अपनी ही भांति मालिक काबिज स्वामी तथा दाखिल खारिज करा लेने का अधिकारी बना दिया तथा दाखिल खारिज में यदि प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरों की या शपथपत्र देने की आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष अपने हस्ताक्षर करने व शपथपत्र देने के पाबंन्द व जिम्मेदार रहेगे। अब द्वितीयपक्ष को उक्त भूमि सूची 'अ' के सम्बन्ध मे सर्वाधिकार प्राप्त रहेगे द्वितीयपक्ष उक्त भूमि को अपने प्रयोग मे लाये, विक्रय करे, खेती करे, जिस प्रकार चाहे उपयोग करे, तथा ऋण आदि लेने व बन्धक करने व विक्रय पत्र/उपहारपत्र आदि विलेख द्वारा अन्तरित करने के समस्त अधिकार प्रथमपक्ष के समान द्वितीयपक्ष को प्राप्त रहेगे अर्थात आज से उक्त भूमि में जो

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 634697

अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त थे वह समस्त अधिकार काश्तकार भूमिधरी सक्रमणीय भूमिधरी मालिकान आदि के द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये है तथा विनिमय द्वारा प्राप्त भूमि में द्वितीयपक्ष सह खातेदार है।

2- यह कि द्वितीयपक्ष ने अपनी कृषि भूमि भूमिधरी जो अनुसूची 'ब' मे वर्णित है को प्रथमपक्ष को कृषि भूमि भूमिधरी सूची 'अ' के बदले में हस्तान्तरित कर दी और दे दी, जिसके अब प्रथमपक्ष आज की तिथि से स्वामी हो गये हैं तथा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को व्यक्तिगत स्वामी व पूर्णतः अधिकारी तथा अपनी ही भांति मालिक काबिज स्वामी तथा दाखिल खारिज करा लेने का अधिकारी बना दिया तथा दाखिल खारिज में यदि द्वितीयपक्ष के हस्ताक्षरों की या शपथपत्र देने की आवश्यकता होगी तो द्वितीयपक्ष अपने हस्ताक्षर करने व शपथपत्र देने के पाबंन्द व जिम्मेदार रहेगे तथा प्रथमपक्ष ने मौके पर अपना कब्जा कर लिया है अब प्रथमपक्ष को उक्त भूमि सूची 'ब' के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

19 MAY 2014

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 634698

सम्बन्ध मे सर्वाधिकार प्राप्त रहेगे प्रथमपक्ष उक्त भूमि को अपने प्रयोग मे लाये, खेती करें तथा ऋण आदि लेने व बन्धक करने व विक्रय पत्र/उपहारपत्र आदि विलेख द्वारा अन्तरित करने के समस्त अधिकार द्वितीयपक्ष के समान प्रथमपक्ष को प्राप्त रहेगे अर्थात आज से उक्त भूमि में जो अधिकार द्वितीयपक्ष को प्राप्त थे वह समस्त अधिकार काश्तकार भूमिधरी सक्रंमणीय भूमिधरी मालिकान आदि के प्रथमपक्ष को प्राप्त हो गये है तथा विनिमय द्वारा प्राप्त भूमि में प्रथमपक्ष सह खातेदार है।

3- यहकि प्रत्येक पक्ष विनिमय की हुई भूमि पर बिना किसी रूकावट के कब्जा करके शान्ति पूर्वक भोग करने के अधिकारी होगे तथा एक दूसरे पक्ष को आपस मे एक दूसरे के अधिकारो में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न होगा व किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के अधिकारो में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नही होगा।

मिथेन्द्र दिटि   मि म रोशनी   जौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

19 MAY 2016

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 634699

अतः यह विनिमय पत्र दोनो पक्षो की सहमति से लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो। इति।।

विवरण सम्पत्ति सूची नम्बर 'अ' जो प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को सूची भूमि 'ब' के बदले में दी है।

जो कि भूमि खाता नम्बर 00188 वर्ष फसली 1421-1426 के अनुसार का खसरा नम्बर 732 रकबई 0.0250 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 733 रकबई 0.0250 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 734 रकबई 0.2280 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 735 रकबई 0.1640 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 736 रकबई 0.1900 हैक्टेयर कुल नम्बरान पांच कुल रकबई 0.6320 हैक्टेयर पुख्ता भूमि का एक बटा पांच भाग जो उक्त खसरा नम्बरान मे प्रथमपक्ष का अपना कुल हक व हिस्सा है यानि अन्तरित भाग केवल 0.1264 हेक्टेयर पुख्ता भूमि लगानी परता खाता स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

12 MAY 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 634700

विवरण सम्पत्ति सूची नम्बर 'ब' जो द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को सूची 'अ' के बदले में दी है।

जो कि भूमि खसरा नम्बर 669 रकबई 0.0130 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 670 रकबई 0.0690 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 671 रकबई 0.0690 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 672 रकबई 0.5690 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 673 रकबई 0.5500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 675 रकबई 0.0690 हैक्टेयर कुल नम्बरान छः कुल रकबई 1.3390 हैक्टेयर पुख्ता भूमि का एक बटा पाँचवे भाग जो उक्त खसरा नम्बरान मे द्वितीयपक्ष का अपना कुल हक व हिस्सा है यानि द्वितीयपक्ष का भाग केवल 0.2678 हेक्टेयर पुख्ता भूमि मे से अन्तरित भाग केवल 0.1264 हैक्टेयर पुख्ता भूमि लगानी परता खाता स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौसला तहसील सरधना जिला मेरठ जो द्वितीयपक्ष के अपने कुल हक व हिस्से मे से है

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

25 APR 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 638970

अन्य विवरण

1- यहकि विनिमय की गई कृषि भूमि भूमिधरी अर्द्ध नगरीय क्षेत्र मे स्थित है।

2- विनियम पत्र पर स्टाम्प मालियत अंकन 17,70,000/- रूपये पर नियमानुसार अदा किया जा रहा है।

3- यहकि विनिमय की गई कृषि भूमि भूमिधरी कृषि भूमि है, तथा संलग्न राजस्व रिकार्ड मे कृषि ही दर्ज है तथा उक्त भूमि के दो सौ मीटर की त्रिज्या मे खेती/अकृषक गतिविधियां है तथा उक्त भूमि दो फसली है, तथा सिचाई का साधन प्राईवेट पडौसी का नलकूप है, तथा उक्त भूमि की किस्म जमीन सेवटा है, व उक्त भूमि किसी भी राष्ट्रीय राज्य मार्ग, जनपदीय मार्ग या लिंक मार्ग पर

योगेन्द्रसिंह

प्रभा रोशनी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 638971

स्थित नही है बल्कि कृषि भूमि के बीच स्थित है, तथा विलेख मे स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का अनुपालन सत्यता पूर्वक किया जा रहा है, तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष भारत के मूल नागरिक हैं।

4. यहकि विनिमय किए गये दोनो भूमि का सर्किल रेट एक ही है तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष अन्तरित की गई / आपस में विनिमय द्वारा प्राप्त की गई भूमियों में सहखातेदार है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 638972

5- मूल्यांकन की गणना के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी दर सूची के अनुसार कृषि हेतु भूमि का सर्किल रेट 1,00,00,000/-- रूपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित है किन्तु अन्तरित भूमि के दो सौ मीटर की त्रिज्यामे अकृषिक गतिविधियां विद्यमान होने के कारण सर्किल रेट अंकन 1,20,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित है जिसके अनुसार मूल्यांकन करके स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

5 APR 2014

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 638973

6. अन्तरण भूमि के प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आदिवासी आदि से सम्बन्धित नही है।

लिखित दिनांक 22-05-2014 ई. मसविदा एवं फोटो सत्यापन अरूण शर्मा एडवोकेट, मेरठ ।।

Arun Sharma
M.Com,LLB., Advocate
Registry Compound, Kutchery
Meerut (U.P.)

164 — 165

7000 (रुपये में)

21/5/14

आज दिनांक **22/05/2014** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **5790**

पृष्ठ सं. **351** से **374** पर कमांक **7007**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कृष्ण कुमार यादव

उप निबन्धक सरधना

22/5/2014